समाहरणालय, दरभंगा।

(पंचायत प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव – 2016 के निमित राज्य निर्वाचन आयोग, पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में मतपेटिकाओं की मरम्मति, ग्रिसिंग, तैलीकरण एवं रंगाई कार्य करायी जानी है। वैसी मतपेटिकाओं जिसमें जंग लग चुका है, उसका जंग छुड़ाकर रेड ऑक्साईड के परत चढ़ाकर स्प्रे पेटिंग किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 2380 दिनांक 12.11.2010 से संबंधित पत्र के आलोक में पत्रांक 1635 दिनांक 18.09.2015 से उक्त कार्यों के लिए अलग–अलग अधिकतम दर निर्धारित है। दर संबंधित विस्तृत विवरणी जिला पंचायत राज कार्यालय, दरभंगा से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारित दर या अपने कम दर पर कार्य हेतु दिनांक–19.01.2016 को 1:00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद निविदा, लिफाफा द्विपद्धति के माध्यम से निम्नांकित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फॉर्म तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का अलग–अलग लिफाफा तैयार कर जिला पंचायत राज कार्यालय, दरभंगा में निर्धारित तिथि तक समर्पित कर सकते है। प्राप्त निविदा को दिनांक–19.01.2016 को 4:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

(क) तकनीकी निविदा के शर्त्ते :–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह– जिला पदाधिकारी, दरभंगा के नाम से निर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक का मो0 15000.00 रूपये का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. निविदादाता का पैन नं0 का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
2. Shop and establishment के तहत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
3. फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत होगा।
4. गत चुनाव के अवसर पर यदि कोई कार्य अनुभव हो तो इस संबंध में प्रमाण–पत्र संलग्न कर सकते है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्त्ते :–

1. कार्यादेश के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने व्यय से जिला मुख्यालय या संबंधित प्रखंडों में संधारित या जिले के अन्तर्गत जहां आदेश हो उपलब्ध मतपेटिकाओं का मरम्मति आदि कार्य निष्पादित करना होगा।
2. न्यूनतम दर पर कार्य हेतु एक से अधिक फर्म को आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. उपर्युक्त कार्य के लिए दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्त्ते :–

1. निविदा बिना किसी कारण बताये स्थगित करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
2. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
3. समय–सीमा के अन्तर्गत कार्य निष्पादित नहीं किये जाने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य में बाधा पहूँचाने के अभियोग में संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।

4. निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत कार्य सम्पन्न नहीं करने पर संबंधित फर्म का एकरारनामा रद्द करते हुए द्वितीय निविदादाताओं को समान शर्त्तों के अधीन कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

5. निविदादाता को निविदा में सभी वांछित प्रमाण–पत्र / कागजात का ब्यौरा संलग्न करना होगा। वांछित प्रमाण–पत्र का ब्योरा संलग्न नहीं करने वाले निविदादाताओं की निविदा नहीं खोला जायेगा।

6. स्वीकृत न्यूनतम दर पर संबंधित फर्म / प्रतिष्ठान द्वारा एकरारनामा करने के उपरांत कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। कार्यादेश निर्गत होने पर विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत कार्य करना होगा। इसके लिए कोई अग्रिम देय नहीं होगा।

7. आवंटित फर्म की Sub- Contracting किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

8. कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं होगा।

9. जिन भुगतानों पर टैक्स देय होगा उस पर संवेदक से टैक्स की कटौती भुगतान के समय कर ली जायेगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक ....1002.... /जि0पं0 , लहेरियासराय, दिनांक 28 वीं दिसम्बर 2015

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि निविदा सूचना हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि – जिला स्तरीय क्रय समिति के सदस्य यथा अपर समाहर्त्ता, दरभंगा/ अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा/ महाप्रबंध, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा/ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा/ जिला लेखा पदाधिकारी, दरभंगा/ सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर दरभंगा को दिनांक–19.01.2016 को 4.00 बजे अपराह्न में क्रय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा/ बिरौल / बेनीपुर / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि निविदा सूचना हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के निमित्त विभागीय स्तर से आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करायें।

प्रतिलिपि – आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।